अखिल असम भोजपुरी परिषद

संविधान

तृतीय संशोधन

१९ अक्टूबर २०२१

संविधान
अखिल असम भोजपुरी परिषद

प्रथम निवेदन

अखिल असम भोजपुरी परिषद का नामकरण तिनसुकिया के पवित्र भूमि शिवधाम के प्रांगण में 7 जनवरी 2008 को किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री देवेन्द्र पाण्डे जी ने किया और वही से फोन पर श्री कैलाश कुमार गुप्ता ने श्री परशुराम दुबे जी को जो धुबड़ी में थे , परिषद का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया और श्री दुबे जी ने उस प्रस्ताव को फोन पर ही स्वीकार किया ।

फिर संवैधानिक रूप से अखिल असम भोजपुरी परिषद का गठन सन 2008 में 6 अप्रैल को गोलाघाट में असम के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। परिषद को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु एक संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया जिसने बड़े गहन विचार विमर्श के पश्चात 01.05.2008 को संविधान की रचना की । संविधान रचना में भूल त्रुटि हेतु क्षमा प्रार्थी है एवं संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित है ।

परशुराम दुबे
अध्यक्ष
नंदलाल कोइरी
महा सचिव

संविधान निर्माण
डा० हरेराम पाठक
परशुराम दुबे
कैलाश गुप्ता
नंदलाल कोइरी
अशोक शर्मा

द्वितीय प्रकाशन का निवेदन

अखिल असम भोजपुरी परिषद का संविधान संशोधन एवं प्रकाशन हेतु केन्द्रीय समिति के कार्यकारिणी सभा में दिनांक ९ जुलाई २०१७ को प्रस्ताव ग्रहण किया गया तथा संविधान संशोधन समिति ने गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् दिनांक १४ अगस्त २०१७ को संविधान का द्वितीय प्रकाशन किया। त्रुटि हेतु क्षमा प्रार्थी हैं एवं सुझाव सादर आमंत्रित है।

श्री कैलाश कुमार गुप्ता,
अध्यक्ष
मनोज कुमार मिश्रा
महासचिव
अखिल असम भोजपुरी
परिषद
केन्द्रीय समिति।

संविधान संशोधक
परशुराम दुबे
कैलाश कुमार गुप्ता
नन्दलाल कोईरी
रामाशंकर कोईरी
मनोज कुमार मिश्रा
अर्जुन महतो

तृतीय प्रकाशन का निवेदन

१९ सितंबर २०२१को गुवाहाटी पल्टन बाजार स्थित श्रीमंत शंकरदेव कला-कृष्टि केन्द्र में आयोजित अखिल असम भोजपुरी परिषद केन्द्रीय समिति का पंचम त्रैबार्षिक अधिवेशन के प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए प्रस्ताव के अनुसार संविधान का तृतीय संशोधन हेतु निर्णय लिया गया। संविधान संशोधन एवं प्रकाशन हेतु केन्द्रीय समिति तथा संविधान संशोधक समिति ने गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् दिनांक १९अक्टूबर २०२१ को संविधान का तृतीय संशोधन एवं प्रकाशन किया गया। त्रुटि हेतु क्षमा एवं सुझाव सादर आमंत्रित है।

श्री कैलाश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष
श्री दिलीप चौहान
महासचिव
अखिल असम भोजपुरी
परिषद
केन्द्रीय समिति।

संविधान संशोधक
कैलाश कुमार गुप्ता
रामाशंकर कोईरी

अखिल असम भोजपुरी परिषद का संविधान

१. इस संस्था का नाम **अखिल असम भोजपुरी परिषद** होगा।
२.उद्देश्य : देश अजाद होने से पहले और उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश आदि राज्यों से आए हुए लोग।

(क) भोजपुरी भाषा-भाषी लोगों की सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आर्थिक, साहित्यिक, संस्कृतिक सहित समस्त विकाश के लिए प्रयत्न करना एवं उनके समस्त वैध आधिकारो की रक्षा करना।

(ख) भोजपुरी एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार मे योगदान करना एवं उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन करना।

(ग) भोजपुरी एवं हिंदी के साथ साथ असमीया भाषा एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु रचनात्मक कार्यों का आयोजन करना, राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता को सुदृढ करना।

(घ) अवधी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जीका आदि एवं अन्य भोजपुरी भाषा-भाषी लोगो के कल्याण हेतु कार्य करना।

३. **प्रतीक** : एक वृत्ताकार जिसमे लाल रंग की एक पट्टी रहेगी। पट्टी के बाये-दाये बीच मे दो तारा रहेगा। तारा केऊपर "अखिल असम भोजपुरी परिषद" लिखा होगा। दो तारा के निचे "संघे शक्ति कलियुगे" लिखा रहेगा। लाल पट्टी के बीचवाले भाग मे असम के मानचित्र होगा जिसके चारो ओर जन शैलाब का चित्र होगा। पट्टी के बाहरी भाग मे सुन्दर तरीके से पिताम्बरी रंग में एक और पट्टी होगी। उक्त प्रतीक को लेकर सफेद २: ३ कपड़े मे अंकित कर परिषद का ध्वजा होगा।

४. **अखिल असम भोजपुरी परिषद का गठन** :

(क) केन्द्रीय कार्यकारणी समिति।
(ख) जिला समिति।
(ग) आंचलिक समिति।
(घ) शाखा समिति एवं टोली।

क्रमशः-

५. **सदस्यता** :

परिषद के निम्मलिखित प्रकार के सदस्य होंगे जिनकी उम्र १८ वर्ष से कम न हो।

(क) प्राथमिक सदस्य।
(ख) सक्रीय सदस्य।
  i. तीन वर्षीय।
  ii. आजीवन।
(ग) संरक्षक सदस्य।

सदस्यता शुल्क :

प्राथमिक सदस्य	३०.०० रुपये।
सक्रीय सदस्य :	
i. तीन वर्षीय	५००.०० रुपये।
ii. आजीवन	३,०००.०० रुपये।
संरक्षक सदस्य	५,०००.०० रुपये।

सक्रीय सदस्य बनने हेतु प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

६. परिषद का केन्द्रीय कार्यालय गुवाहाटी मे एवं जिला-आंचलिक का कार्यालय अपने स्तर पर होगा।

७. **प्रतिनिधि सभा** :

प्रतिनिधि सदस्यों को लेकर प्रतिनिधि सभा का गठन होगा। केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा परिषद की सर्वोच्च सत्ता होगी।

८. **प्रतिनिधि सभा के अधिकार एवं कार्य** :

(क) केन्द्रीय स्तर के प्रतिनिधि सभा में संविधान में संशोधन, कार्यप्रणाली एवं केन्द्रीय कार्य समिति का गठन करना।
(ख) जिला स्तर पर आयोजित प्रतिनिधि सभा में जिला समिति का गठन करना।
(ग) आय-व्यय के आकड़ो को स्वीकार करना।
(घ) परिषद के सभी तरह के चल एवं अचल संपत्ति पर प्रतिनिधि क्रमशः-

सभा का अधिकार होगा।
(ङ) असमीया, हिंदी एवं भोजपुरी में उल्लेखनीय लेखन करनेवाले को पुरस्कृत करना।

९. समिति का कार्यकाल (विशेष संशोधन) :

(क) केन्द्रीय कार्य समिति, जिला समिति एवं आंचलिक समितियों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। ये तीनो समितियाँ अपने कार्यकाल से एक दिन पहले अपना अधिवेशन या प्रतिनिधि सभा कर नई समिति का गठन करना होगा। अन्यथा आंचलिक समिति को जिला समिति और जिला समिति को केन्द्रीय समिति निरस्त कर देगी। इनके किसी भी समिति के पदाधिकारीयों का कोई अधिकार नही रह जाएगा। केन्द्रीय समिति को केन्द्रीय उपदेष्टा मंडली इस परिस्थिति में कार्य करेगी और इसके लिए अधिक से अधिक तीनों समितियों के गठन के लिए तीस दिन का समय होगा। विशेष परिस्थिति में आंचलिक समिति अपने जिला से जिला समिति केन्द्रीय समिति से और केन्द्रीय समिति उपदेष्टा मंडली से अधिवेशन के लिए मात्र तीस दिन का समय ले सकती है। किसी प्राकृतिक आपदा में इस अवधि को बढ़या जा सकता है।

(ख) आंचलिक समिति, जिला समिति तथा केन्द्रीय समिति के कार्यकारी सदस्य को छोड़ कर कोई भी पदाधिकारी लगातार एक ही पद पर दो बार के कार्यकाल से अधिक नही रह सकता है।

(ग) आंचलिक समिति प्रत्येक घर के सदस्यों को जोड़ने के लिए कम से कम पांच शाखा समिति या टोली का गठन करेगी और प्रत्येक टोली का प्रभारी अपने समिति के दो सदस्यों को नियुक्त करेगी जो प्रभारी होंगे। उनसे सीधे सभापति और सचिव संर्पक करेंगे।

(घ) जिला समिति के अध्यक्ष और महासचिव को छोड़कर सभी सदस्यों को एक एक आंचलिक के प्रभारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य होगा। जो प्रभारी होंगे उनको हर महिने आंचलिक के साथ किए गए बैठक या आम सभा का फोटो और प्रतिवेदन का प्रतिलिपि अध्यक्ष या महासचिव को देना अनिवार्य होगा।

क्रमशः-

(ङ) केन्द्रीय समिति ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जिले का एक एक प्रभारी नियुक्त करेगी जो प्रत्येक तीन महिने में जिला समिति के साथ आम सभा तथा कार्यकारणी का बैठक कर फोटो और प्रतिवेदन का प्रतिलिपि केन्द्रीय समिति को देना होगा।

आंचलिक समिति द्वारा बनाए गए टोली का प्रभारी का रजिष्टर आंचलिक अधिवेशन से दो महीना पहले आंचलिक समिति के उपदेष्टा मंडली को आंचलिक समिति के सभापति के जरिए सौपना होगा।

(च) जिला समिति द्वारा बनाए गए प्रभारी का रजिष्टर जिला समिति के उपदेष्टा मंडली को दो महिना पहले अपने जिलाध्यक्ष के जरिए सौपना होगा। ठिक उसी प्रकार केन्द्रीय समिति के प्रभारी केन्द्रीय समिति के उपेदष्टा को दो महिना पहले केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष के जरिए सौपना होगा।

(छ) जो प्रभारी तथा पदाधिकारी अपना दायित्व का पालन नही करेंगे उनको या तो उनके पद से निरस्त कर दिया जाऐगा या विशेष परिस्थिति में उनको दुसरे जगह का प्रभारी नियुक्त कर उन्हें समिति एक और मौका दे सकती है।

(ज) आंचलिक समितियों का परिचय पत्र चाहे पदाधिकारी हो या सदस्य जिला समिति के द्वारा दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिला समितियों का परिचय पत्र केन्द्रीय समिति द्वारा दिया जाएगा।

(झ) प्रत्येक आंचलिक समिति के २१ कार्यकारिणी सदस्य चार सौ (४००) रूपया अपने आंचलिक समिति में जमा करेंगे। (यह वार्षिक सदस्यता शुल्क होगा)। इस शुल्क का ५० प्रतिशत जिला को देना होगा।

(ञ) प्रत्येक आंचलिक से आए हुए जिला समिति का कुल धन राशी का ५० प्रतिशत और साथ ही जिला समिति के वार्षिक सदस्यता शुल्क का ५० प्रतिशत प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय समिति को सौपना होगा। (प्रत्येक सदस्यों का सदस्यता शुल्क ४००.०० होगा)।

(ट) केन्द्रीय समिति के वार्षिक सदस्यता शुल्क ५००.०० होगी। जिन-सदस्यों का शुल्क जमा नही होगा उन्हें समिति से

क्रमशः-

निरस्त कर दिया जाएगा।

(ठ) आंचलिक समिति या जिला समिति किसी भी तरह का प्रतिवादी कार्यसूची, धन संग्रह या कोई भी बड़ा कार्यक्रम केन्द्रीय समिति के अनुमोदन के बिना नही कर सकती है।

(ड) कोई भी आंचलिक समिति के अंदर जिला या केन्द्रीय समिति के कोई भी पदाधिकारी है तो किसी भी कार्यक्रम मे उन्हे कम से कम तीन दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होगा।

(ढ) कोई भी जिला समिति के अंदर अगर केन्द्रीय समिति के पदाधिकारी या सदस्य है तो उन्हें भी किसी कार्यक्रम में बुलाना अनिवार्य होगी और कम से कम तीन दिन पहले सुचित करना होगा।

(ण) अखिल असम भोजपुरी परिषद के किसी भी कार्यक्रम को करने से पूर्व परिषद के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय परशुराम दुबे जी के प्रतिमूर्ति के उपर पुष्प माला अर्पण कर दीप प्रज्वलन के बाद ही कार्यक्रम शुरु होगा।

(त) जिला या केन्द्रीय समिति में सलाहकार पद पर नियुक्ति हेतु वह व्यक्ति पहले जिला या केन्द्रीय समिति का सदस्य होना होगा।

(थ)आंचलिक समिति में दो वाह्रसप ग्रुप होगा. एक ग्रुप मे सिर्फ समिति के १९ सदस्य, तीन सलाहकार, एक जिला का प्रभारी और जिला समिति के अध्यक्ष-सचिव यानी कुल २७ व्यक्तियों का ग्रुप होगा। और दुसरा ग्रुप आंचलिक के सभी घर को जोड़नेवाली टोलीयो के सदस्यो होंगे उसमे जिला का कोई भी व्यक्ति नही होगा।

(द) जिला समिति के वाह्रसप ग्रुप एक ही होगी, जिसमे ३१ सदस्य, ५ सलहकार, १ जिला प्रभारी, केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, महासचिव और प्रत्येक आंचलिक का सभापति-सचिव होंगे।

ठिक उसी प्रकार केन्द्रीय समिति के ४१ सदस्य, ७ सलाहकार तथा प्रत्येक जिला समिति के अध्यक्ष-महासचिव होंगे।

१०. समितियों का गठन :

(क) आंचलिक समिति का गठन साधारण सदस्यों क्रमशः-

एवं सक्रीय सदस्यों के सम्मिलित सभा मे होगी।

(ख) आंचलिक समिति द्वारा ७ (सात) प्रतिनिधि सदस्यो को मनोनित/चुनाव करके एवं आंचलिक समिति के सभापति और सचिव के उपस्थिति मे प्रतिनिधि सभा में जिला समिति का गठन होगा। ठीक उसी तरह जिला समिति द्वारा ७ (सात) प्रतिनिधि सदस्यों को मनोनित/चुनाव करके एवं जिला समिति के अध्यक्ष और सचिव के उपस्थिति में प्रतिनिधि सभा में केन्द्रीय समिति का गठन होगा।

(ग) केन्द्रीय एवं जिला प्रतिनिधि सभा हेतु कम से कम एक महिला प्रतिनिधि का मनोनित/चुनाव अनिवार्य होगा।

११. केन्द्रीय समिति का गठन :

पद	पद संख्या
(i) अध्यक्ष	१
(ii) कार्यकारी अध्यक्ष	१
(iii) उपाध्यक्ष	७
(iv) महासचिव	१
(v) सह-सचिव	४
(vi) कोषाध्यक्ष	१
(vii) सांगठनिक सचिव	४
(viii) प्रचार सचिव	४
(ix) खेल एवं सांस्कृतिक सचिव	३
(x) कार्यालय सचिव	१
(xi) साधारण सदस्य	९
(xii) अध्यक्ष द्वारा मनोनित सदस्य	५
कुल पदाधिकारी ३६+५ = ४१	

प्रत्येक जिला के अध्यक्ष एवं सचिव केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य होंगे। केन्द्रीय समिति में १ मुख्य सलाहकार एवं ६ सलाहकार होंगे जिनका कार्य समिति को सुझाव देना होगा परन्तु वोट काअधिकार नही होगा। अध्यक्ष द्वारा मनोनित सदस्यों का वोट का क्रमशः-

अधिकार नही होगा।

१२. केन्द्रीय कार्य समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

(क) आवश्यकतानुसार नये नियम एवं उप नियम बानाना, बने हुए नियम में संशोधन करना तथा स्वीकृति के लिए प्रतिनिधि सभा में भेजना।

(ख) केन्द्रीय कार्य समिति के तहत विभिन्न उप समितियों का गठन करना तथा उनके अधिकार और कर्तव्य निश्चित करना।

(ग) आंचलिक स्तर पर महिलाओं के विकास एवं परिषद को मजबुत बनाने हेतु अखिल असम भोजपुरी महिला परिषद का गठन करना तथा उनके अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित करना।

(घ) आवश्यकतानुसार तदर्थ जिला एवं आंचलिक समिति का गठन करना। जिला एवं आंचलिक समितियों को भंग कर उनके स्थान पर तदर्थ समिति का गठन कर एक महीना के अंदर निर्वाचित समिति का गठन करना। किन्तु किसी भी समिति को भंग करने से पूर्व केन्द्रीय समिति के सभा में अनुमोदन लेना होगा।

(ङ) परिषद के नियमों एवं उद्देश्यों की अवहेलना करनेवाले या अनुशासन भंग करनेवाले सदस्यो को बहुमत से उनकी
सदस्यता निरस्त कर सकते है। इस स्थिति में सम्बंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण हेतु १० (दस) दिनो का समय देना होगा।

(च) परिषद के प्रत्येक कार्य तथा मुकद्दमा आदि के लिए कानुनी एवं सामाजिक पैरवी करना।

(छ) पंजीकृत लेखा परिक्षक की नियुक्ति करना।

(ज) कार्य समिति की बैठक की सूचना कम से कम पांच दिन पूर्व अथवा आवश्यकतानुसार देनी होगी। आपातकालीन बैठक के लिए २४ घंटे पूर्व सूचना देनी होगी।

(झ) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के जो भी पदाधिकारी तथा सदस्य अनुपस्थित रहेंगे, उन्हे कार्य समिति से स्वतः मुक्त समझा जायेगा और उनके स्थान पर अन्य पदाधिकारी या क्रमशः-

सदस्य का चयन कर लिया जाएगा।

(ञ) केन्द्रीय समिति की बैठक प्रत्येक तीसरे
महीने अर्थात वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित करना होगा। वर्ष का प्रारम्भ अप्रेल महिने से माना जाएगा। कार्य समिति की बैठक में गणपुरक आधे से अधिक उपस्थिति को माना जाएगा। (ये सभी अधिकार एवं कर्तव्य मुख्य रूप से केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष द्वारा संचालित होंगे तथा महासचिव इनका सम्पादन करेंगे। केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष परिषद के सर्वोच्च सम्मानित व्यक्ति होंगे।

(ट) केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष और महासचिव केन्द्रीय समिति के पदाधिकारी या सदस्यों को विभिन्न जिलो के प्रभारी नियुक्त कर जिला समितियों की कार्य प्रणाली को आगे बढाने और देखभाल करने का दायित्व दे सकेंगे।

(ठ) केन्द्रीय, जिला एवं आंचलिक समिति सम्भवतः बन्द जैसी कार्य से दूर रहेगी।

(ड) जिला समिति एवं आंचलिक समिति के
गठन के समय केन्द्रीय समिति जिला या आंचलिक चुनाव अधिकारी (पर्यवेक्षक) नियुक्त करेगी।

१३. साधारण सभा :

वर्ष में कम से कम केन्द्रीय, जिला एवं आंचलिक समितियों को एक साधारण सभा का आयोजन करना होगा जिसमे प्राथमिक सदस्य, सक्रीय सदस्य, संरक्षक सदस्य भाग लेंगे।

१४. जिला समिति का गठन :

जिला के प्रत्येक आंचलिक समिति द्वारा मनोनित या निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यों और आंचलिक समितियों के सभापति और सचिव के सम्मिलित प्रतिनिधि सभा में जिला समिति का गठन होगा।

पद	पद संख्या
(i) अध्यक्ष	१
(ii) कार्यकारी अध्यक्ष	१

क्रमशः-

(iii) उपाध्यक्ष	५
(iv) जिला सचिव	१
(v) सह-सचिव	३
(vi) कोषाध्यक्ष	१
(vii) सांगठनिक सचिव	३
(viii) प्रचार सचिव	२
(ix) खेल एवं सांस्कृतिक सचिव	२
(x) कार्यालय सचिव	१
(xi) साधारण सदस्य	८
(xii) अध्यक्ष द्वारा मनोनित सदस्य	३

कुल पदाधिकारी २८+ ३ = ३१ जिला समिति तीन या उससे अधिक सलाहकार नियुक्त कर सकेगी। जिला समिति के सलाहकार और मनोनित सदस्यों का वोट का अधिकार नही होगा।

आंचलिक समिति के सभापति और सचिव जिला समिति के पदेन सदस्य होंगे। जिले मे रहनेवाले केन्द्रीय समिति के पदाधिकारी या सदस्य को जिला समिति के किसी भी कार्यसूची मे निमंत्रित करना अनिवार्य होगा।

१५. आंचलिक समिति का गठन :

पद	पद संख्या
(i) सभापति	१
(ii) कार्यकारी अध्यक्ष	१
(iii) उपाध्यक्ष	३
(iv) सचिव	१
(v) सह-सचिव	२
(vi) कोषाध्यक्ष	१
(vii) सांगठनिक सचिव	२
(viii) प्रचार सचिव	१
(ix) खेल एवं सांस्कृतिक सचिव	१
(x) कार्यालय सचिव	१

क्रमशः-

(xi) साधारण सदस्य	५
(xii) अध्यक्ष द्वारा मनोनित सदस्य	२

कुल पदाधिकारी १९+ २ = २१

आंचलिक समिति दो या उससे अधिक सलाहकार नियुक्त कर सकेगी। आंचलिक समिति के सलाहकार और मनोनित सदस्यों का वोट का अधिकार नही होगा।

आंचलिक में रहनेवाले केन्द्रीय समिति और जिला समिति के पदाधिकारी या सदस्य को आंचलिक समिति के किसी भी कार्यसूची में निमंत्रित करना अनिवार्य होगा।

१६. विशेष नियम :

(क) साधारणतः एक सदस्य को एक ही पद दिया जाएगा। लेकिन परिस्थिति अनुसार अध्यक्ष किसी सक्रीय सदस्य को एक से अधिक पद दे सकते है, परन्तु दुसरे पद का कार्यकाल केवल छः महिने का ही होगा। इस अवधि को आगे बढाने हेतु कार्यकारिणी में अनुमोदित करना होगा।

(ख) किसी भी परिस्थिति में सदस्यों में मतभेद होने पर अध्यक्ष गुप्त मतदान की व्यवस्था कर सकते हैं।

(ग) बैठक में सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे सभापति को लक्ष्य करके तथा उनकी आज्ञा लेकर किसी विषय पर अपना विचार प्रकट करेंगे। प्रत्येक स्थिति मे सभाध्यक्ष की आज्ञा का पालन और अनुशासन रखना आवश्यक होगा।

(घ) बैठक में किसी भी सदस्य को किसी अन्य सदस्य के निजी मामलो अथवा धार्मिक विचारो के विरूद्ध कुछ कहने का अधिकार नही होगा। अन्यथा सभाध्यक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।

(ङ) किसी भी सभा का बैठक नियत समय पर आरम्भ कर दी जाएगी। गणपूर्ती न होने की अवस्था मे अध्यक्ष नियत समय से १५ मिनट तक सदस्यों की प्रतीक्षा कर बैठक आरम्भ कर सकते है।

पहली बैठक गणपूर्ती के अभाव में रद्द हो जाए तो दुसरी बैठक की उपस्थिति ही गणपूरक होगी

क्रमशः-

(च) सदस्यो के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट लोगो को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा। लेकिन उन्हें वोट का अधिकार नही होगा।

(छ) परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्यो का यह कर्तव्य होगा कि वे परिषद की गोपनीयता बनाए रखें तथा पदाधिकारीयों के प्रति किसी प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग न करें अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(ज) किसी सदस्य या पदाधिकारी के पास परिषद का कोई भी राशी या सामग्री किसी कारणवश रह जाए और बार बार अनुरोध करने पर भी वो सदस्य उक्त राशी या सामग्री नही लौटाता है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अवश्यकतानुसार कानुनी कार्यवाही की जाएगी।

(झ) प्रत्येक आंचलिक एवं जिला समिति प्रति वर्ष ६ अप्रैल को स्थापना दिवस विभिन्न कार्यसूचीयों के साथ मानाएगी।

(ञ) आंचलिक, जिला समिति एवं केन्द्रीय समिति समय समय पर परशुराम दुबे जी की पुण्य तिथि, शंकरदेव तिथि, भिखारी ठाकुर जन्म तिथि, डा भूपेन हाजरिका जन्म तिथि, विष्णु प्रसाद राभा, ज्योति प्रसाद आगरवाला तिथि के साथ साथ कम से कम प्रत्येक तीन महिना म अपने इलाके में स्वच्छता अभियान चलाएगी।

(ट) प्रत्येक आंचलिक समिति को २० नए सदस्यों को परिषद में जोड़ना गोगा।

१७. परिषद का कोष :

(क) सदस्यता शुल्क एवं शुभचिंतकों के सहयोग से कोष का मजबूत किया जाएगा।

(ख) सदस्यता शुल्क का आवंटन :

- आंचलिक समिति :- ५० प्रतिशत।
- जिला समिति :- ३० प्रतिशत।
- केन्द्रीय समिति :- २० प्रतिशत।

(ग) केन्द्र, जिला एवं आंचलिक समितियों का कोष क्रमशः-

किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में रखा जाएगा। बैंक से धन निकासी अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से हो सकेगी।

कार्यालय के कर्मचारीयों के वेतन का भुगतान नगद या चेक द्वारा किया जाएगा।

१८. परिषद का अधिवेशन :

(क) स्वागत समिति : जिस जिले में परिषद का केन्द्रीय अधिवेशन या जिला अधिवेशन होगा उस जिले की या अंचल की समिति केन्द्रीय समिति, जिला समिति के देख-रेख में स्थानीय समाज सेवकों को लेकर एक स्वागत समिति का गठन करेगी। अधिवेशनार्थ धन संग्रह स्वागत समिति करेगी एवं केन्द्रीय, जिला एवं आंचलिक समितियाँ सहायता प्रदान करेगी।

अधिवेशन में हुए आय-व्यय का ब्यौरा मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षक द्वारा अथवा केन्द्रीय समिति से नियुक्त लेखा परिक्षक द्वारा जाँच करवाकर एक महिने के अंदर केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा में जिला तथा आंचलिक समितियों के उपस्थिति में दाखिल करना होगा।

अधिवेशन के बाद शेष राशि का आधा अंश जिस समिति के अन्तंगत अधिवेशन हुआ हो उसे दे दिया जाएगा और शेष राशि सम भाग करके उस जिले की अन्य आंचलिक समितियों को सौपा जाएगा।

(ख) अधिवेशन मे निम्नलिखित कार्य होंगे :

- प्रतिनिधि सभा आयोजित कर पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन।
- गण अधिवेशन के कार्यों की पुष्टि।
- महासचिव या जिला सचिव के प्रतिवेदन का पाठ।
- बिगत कार्यकारिणी की आय-व्यय की प्रस्तुति।
- भावी कार्यक्रमों का प्रारूप।
- प्रस्तावों पर विचार एवं ग्रहण।
- अधिवेशन में भोजपुरीभाषीयों सहित हिन्दी एवं अन्य भाषा-भाषीयों के उन समस्याओं पर गहराई से विचार किया क्रमशः-

जाएगा जो किसी भी प्रकार से राष्ट्रहित के साथ जड़ित हो।

☛ अन्यान्य।

१९. **निष्कासन :**

निम्नलिखित अवस्थाओं में परिषद के सदस्य निष्कासित हो सकते हैं।

(क) त्याग पत्र देने पर।
(ख) सदस्यता शुल्क न देने पर।
(ग) परिषद विरोधी कार्य करने पर।
(घ) परिषद का धन गबन करने पर।
(ङ) अनैतिक एवं असामाजिक कार्य करने पर।

२०. **पदाधिकारीयों के अधिकार एवं कर्तव्य :**

अध्यक्ष : ☛ बैठक का संचालन करना।

☛ परिषद के सभी कार्य का देख-रेख करना।

☛ विवादास्पद विषयों पर निर्णय देना।

☛ जिला, आंचलिक का निरीक्षण करना।

☛ अर्थ का प्रबन्ध करना आदि।

कार्यकारी अध्यक्ष : ☛ अध्यक्ष को सहयोग के साथ साथ उनके अनुपस्थिति में समस्त कार्यों का संचालन करना।

उपाध्यक्ष : ☛ अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग के साथ उनके अनुपस्थित में समस्त कार्यों का संचालन करना तथा सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करना।

महासचिव : ☛ अध्यक्ष के परामर्शनुसार सभी कार्य का सम्पादन करना।

☛ जिला तथा आंचलिक समितियों का निरीक्षण करना।

☛ बैठक के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना।

☛ समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का कार्योन्वियन करना तथा परिषद को सुदृढ़ बनाना।

कोषाध्यक्ष : ☛ परिषद के धन को सुरक्षित रखना तथा

क्रमशः-

आय-व्यय का हिसाब रखना।

☛ अध्यक्ष, महासचिव अथवा सचिव के निर्देशनुसार खर्च के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना।

☛ समय समय पर आय-व्यय का हिसाब प्रस्तुत करना।

सह-सचिव : ☛ महासचिव एवं विभिन्न सचिवों के कार्यों में सहयोग के साथ साथ सह-सचिव उनका कार्यभार संभालेंगे।

सांगठनिक सचिव : ☛ परिषद के सांगठनिक स्थिति को मजबुत करना।

सह-सांगठनिक सचिव : ☛ सांगठनिक सचिव के कार्यों में सहयोग करना तथा उनके अनुपस्थित में सांगठनिक स्थिति को मजबुत करना।

प्रचार सचिव : ☛ परिषद के सभी कार्यों का प्रचार करना।

खेल एवं सांस्कृति सचिद : ☛ खेल एवं सांस्कृतिक कार्यों आयोजन करना।

कार्यलय सचिव : ☛ कार्यालय सम्बन्धित सभी जिम्मेवारी का पालन करना।

कार्यकारिणी सदस्य : ☛ परिषद के सभी कार्यों में पूणांग सहयोग करना होगा।

संविधान संशोधन :

परिषद के संबिधान में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन करने का पूर्ण आधिकार परिषद के प्रतिनिधि सभा एवं केन्द्रीय कार्यकारणी के पास होगा। जरुरत परने पर जिला एवं आंचलिक समितियाँ भी संबिधान में संशोधन की सिफारिश उक्त समिति को भेज सकती है। ०००

।। जय आई असम ।।

(मूल्य ४०.००)